अनुदान संख्या 18 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 18 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	199,94,00	199,95,00	190,87,54	- 9,07,46
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,57,08
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-		39,00,00	37,08,74	- 1,91,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	11946.00	11796.76	11810.50	+ 13.74
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	- 150.24			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	8048.00	7441.16	7277.04	-164.12
पु.	R.	-606.84			

(I) ₹344.74 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹301.64 लाख मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "संयुक्त स्टाक कम्पनियों का विनियमन - कारपोरेट कार्य महानिदेशक" - ₹169.60 लाख कारपोरेट कार्य महानिदेशक कार्यालय प्रचालित न किए जाने के कारण थे।

(खा) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण" - ₹132.04 लाख विधिक चेतावनी की वजह से राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की स्थापना न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कारपोरेट कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत ₹136.50 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11947.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और मुख्यालय में सरकारी परिसमापक ई-नीलामी और लेखांकन का प्रचालनीकरण न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "संयुक्त स्टाक कम्पनियों का विनियमन - कम्पनी अधिनियम के अधीन सरकारी परिसमापक" - ₹327.03 लाख की बचत (₹1642.27 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी परिसमापक कार्यालयों का आर ओ सी-सह-सरकारी परिसमापक के रूप में आरओसी कार्यालयों में विलय किए जाने, कुछ सरकारी परिसमापक/आरओसी कार्यालयों को सम्बद्ध क्षेत्रों में मंत्रालय के स्वयं के नवनिर्मित भवनों में अंतरित किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण" - ₹124.21 लाख की बचत ₹606.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में रिक्त पदों के भरे न जाने और भवन के किराए में संशोधन न होने के कारण हुईं।

(I) Provision of ₹344.74 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹301.64 lakhs accounted for under Major Head "3475" - under the following heads:-

(A) "Regulation of Joint Stock Companies - Director General of Corporate Affairs" - ₹169.60 lakhs – due to non-operationalisation of Director General of Corporate Affairs (DGCA) Office.

(B) "Other Expenditure – National Company Law Tribunal (NCLT)"- ₹132.04 lakhs - due to non-establishment of National Company Law Tribunal owing to legal challenge.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Corporate Affairs"- saving of ₹136.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11947.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012)) was due to non-filling up of vacant posts and non-operationalisation of Official Liquidator e-auction and accounting at the Headquarters.

(III) Under Major Head "3475"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Joint Stock Companies - Official Liquidator under Companies Act" – saving of ₹327.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1642.27 lakhs) was due to merger of Official Liquidator offices in ROC offices as ROC-cum-Official Liquidator, shifting of some of the Official Liquidator/ROC offices to the newly constructed Ministry's own building in the respective regions and economy measures.

(B) "Other Expenditure – Competition Appellate Tribunal (CAT)"– saving of ₹124.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹606.20 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-revision of rent of the building.

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹71.55 लाख के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

2. The above savings were partly offset by an excess of ₹71.55 lakhs under one head constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹200.00 लाख) ₹191.26 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹200.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹191.26 lakhs.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "7475"	Major Head "7475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	200.00	..	..	..
पु.	R.	-200.00			

(I) ₹200.00 लाख का प्रावधान "अन्य कर्ज - विशेष प्रयोजन वाहन" के अंतर्गत एक मामले में ई-अभिशासन संबंधी विशेष प्रयोजन वाहन का प्रचालनीकरण न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Other Loans – Special Purpose Vehicle" - due to non-operationalisation of Special Purpose Vehicle to deal with e-governance.